छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक /वि.स./स्था./2024 रायपुर, दिनांक / /2024

//कार्यालय -आदेश//

आदेशानुसार, षष्टम विधानसभा का बजट सत्र दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 01.03.2024 तक आहूत किया गया है। सत्रावधि के दौरान जिस दिन सभा की बैठक होगी, उन दिनों में विधान सभा सचिवालय का कार्यालयीन समय प्रात: 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक रहेगा, किन्तु यदि सभा की बैठक निर्धारित समय से अधिक समय तक चलती है, तो कार्यालय का समय सभा की बैठक समाप्त होने के एक घण्टे पश्चात् तक रहेगा।

निम्नलिखित शासकीय अवकाश तिथियों में कार्यालय समय निम्नानुसार रहेगा:-

क्र.	दिनांक	दिन	कार्यालय समयावधि/अवकाश
01.	25.01.2024	गुरूवार	**प्रात: 10:00 बजे से सायं 05:30 बजे**
02.	26.01.2024	शुक्रवार (गणतंत्र दिवस)	**पृथक से कार्यालय आदेश प्रसारित।**
03.	27.01.2024	शनिवार	**अवकाश**
04.	28.01.2024	रविवार	**प्रात: 10:00 बजे से सायं 05:30 बजे**
05.	03.02.2024	शनिवार	**प्रात: 10:00 बजे से सायं 05:30 बजे**
06.	04.02.2024	रविवार	**प्रात: 10:00 बजे से सायं 05:30 बजे**
07.	10.02.2024	शनिवार	**प्रात: 10:00 बजे से सायं 05:30 बजे**
08.	11.02.2024	रविवार	**प्रात: 10:00 बजे से सायं 05:30 बजे**
10.	17.02.2024	शनिवार	**प्रात: 10:00 बजे से सायं 05:30 बजे**
11.	18.02.2024	रविवार	**प्रात: 10:00 बजे से सायं 05:30 बजे**
12.	24.02.2024	शनिवार	**प्रात: 10:00 बजे से सायं 05:30 बजे**
13.	25.02.2024	रविवार	**प्रात: 10:00 बजे से सायं 05:30 बजे**

दिनांक 05 फरवरी, 2024 को कार्यालय का समय प्रात: 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक या कार्य समाप्ति तक रहेगा।

समस्त अधिकारी/कर्मचारी **उन्हें प्रदायित शर्ट, पेंट के साथ जैकेट अथवा प्रदायित ब्लेजर** में दृष्टव्य रूप से अपना परिचय पत्र लगाकर कार्यालय आयेंगे। समस्त वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी उन्हें प्रदाय किए गए निर्धारित वर्दी, जूते एवं टोपी पहन कर दृष्टव्य रूप से अपना परिचय पत्र लगाकर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

सत्र के दौरान यदि सभा की बैठक निर्धारित समय से अधिक समय तक चलती है तो पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एवं सिद्धार्थ चौक जाने वाले बस का प्रस्थान समय निर्धारित कार्यालय समय समाप्ति के 30 मिनट पश्चात् एवं विजेता काम्पलेक्स जाने वाली बस का प्रस्थान समय 01 घण्टे पश्चात् रहेगा।

निरंतर...

निर्धारित कार्यालय समय के पश्चात् समस्त अधिकारी सचिव महोदय की अनुमति प्राप्त कर एवं समस्त कर्मचारी अपने प्रभारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ही कार्यालय छोड़ेंगे। समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से यह अपेक्षित है कि समय का आवश्यक रूप से ध्यान रखें।

आदेश से,

संचालक
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 854 /वि.स./स्था./2024 रायपुर, दिनांक 24/01 /2024

प्रतिलिपिः-

01. कार्यालय मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सूचनार्थ।
02. मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
05. सर्वर कक्ष।

24/01/24

प्रशासकीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ विधान सभा